भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न 339
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना

†***339. श्रीमती कमलजीत सहरावतः**
डॉ. भोला सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार पीएसीएस की वित्तीय स्थिरता और प्रचालन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत विशेष प्रावधान कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पीएसीएस, राज्य सहकारी विपणन संघों और अन्य सहकारी संस्थाओं को एकीकृत सहकारी आपूर्ति शृंखला से जोड़ने/एकीकृत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना से विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले जैसे क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार महाराष्ट्र के पालघर जिले में सहकारी खाद्यान्न भंडारण की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

श्रीमती कमलजीत सहरावत और डॉ. भोला सिंह द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना के संबंध में पूछे गए दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 339 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): देश में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31 मई, 2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदित किया जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है। इस योजना को भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), इत्यादि के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है । पैक्स को गोदामों के निर्माण हेतु लिए गए ऋण के लिए AIF योजना के अधीन ब्याज अनुदान और खाद्यान्न भंडारण के निर्माण के लिए AMI योजना के अधीन सब्सिडी का लाभ दिया जाता है । कृषि और किसान कल्याण विभाग ने AMI योजना के अधीन निम्नलिखित संशोधन भी किए हैं:

- मार्जिन धनराशि की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% किया गया है ।
- निर्माण लागत को मैदानी क्षेत्र के लिए ₹3000–3500/MT से संशोधित करके ₹7000/MT तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹4000/MT से संशोधित करके ₹8000/MT किया गया है ।
- पैक्स के लिए सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% किया गया है (मैदानी क्षेत्र के लिए ₹875/MT से ₹2333/MT और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹1333.33/MT से ₹2666/MT किया गया) ।
- पैक्स के लिए आंतरिक सड़क, तौलकांटा, चाहरदीवारी, इत्यादि जैसी सहायक अवसंरचना के निर्माण पर कुल देय सब्सिडी का अतिरिक्त 1/3 (एक तिहाई) सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने इस योजना के अधीन पैक्स को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए पृथक निधि आबंटित की है ।

इसके अलावा, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस परियोजना के अधीन गोदाम निर्माण के लिए अपने स्वयं की राज्य-स्तरीय योजनाओं से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

इस योजना में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण शामिल है जिससे पैक्स की प्रचालन क्षमता और आय में वृद्धि करके उन्हें बहु-सेवा केंद्रों के रूप में रूपांतरित किया जाता है ।

पैक्स की भूमिका को बढ़ाने का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, फसलोत्तर नुकसान को घटाना, आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावशीलता में सुधार करना और कृषि-चालित विकास में सकारात्मक योगदान देना है, जहां भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर कृषि और संबद्ध सेक्टर का उल्लेखनीय प्रभाव है।

यह योजना गोदामों के निर्माण चरण के दौरान रोजगार उत्पन्न करके और संचालन, भांडागारण तथा लॉजिस्टिक सेवाओं में दीर्घकालिक नौकरियों का सृजन करके प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों प्रकार के रोजगार के सृजन द्वारा ग्रामीण रोजगार में वृद्धि कर सकती है ।

(ग): भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF), राज्य भांडागारण निगमों (SWCs) और राज्य विपणन परिसंघों (SMFs) जैसी संस्थाओं को इस योजना के अधीन पैक्स की पहचान करने, गोदामों का निर्माण करने, किराया आश्वासन प्रदान करने और प्रचालनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है । पैक्स स्तर पर गोदामों के निर्माण के लिए भंडारण कमियों के मानचित्रण हेतु तथा विशेष रूप से गैर- DCP राज्यों में किराया आश्वासन जारी करने में FCI महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राष्ट्र-स्तरीय प्रापण और विपणन सहकारी समितियां होने के नाते, NAFED और NCCF अपने प्रापण क्षेत्रों में पैक्स की पहचान करने, किराया आश्वासन जारी करने, प्रस्ताव तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देने और निर्मित गोदामों की संपूर्ण प्रचालनात्मक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भांडागारण निगम (CWC) और राज्य सहकारी विभागों के समन्वय से राज्य भांडागारण निगमों (SWCs) को समयबद्ध किराया प्रतिबद्धताओं में सुविधा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है ।

यह योजना पैक्स स्तर पर स्थानीय अन्न भंडारण को सक्षम करके लंबी दूरी परिवहन लागतों और नुकसानों को कम करती है । इसके अतिरिक्त, कृषि विपणन और प्रापण प्रणालियों सहित खाद्य आपूर्ति प्रबंधन के साथ पैक्स को एकीकृत करके किसानों को भंडारण सुविधाओं की प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित होती है जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता घटती है । अत:, इस योजना का लक्ष्य किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने, परिवहन लागतों को घटाने और कुल मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है ।

(घ): सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों सहित देश भर में जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं को भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' की राष्ट्रीय परिकल्पना के साथ प्रत्यक्ष रूप से संरेखित है ।

(ङ): इस योजना की पायलट परियोजना को महाराष्ट्र के पालघर जिला सहित देश भर के 500 से अधिक पैक्स में विस्तारित किया गया है । इसका लक्ष्य पैक्स को सशक्त करना, फसलोत्तर नुकसानों को घटाना और क्षेत्र में आजीविका व खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना है । इसके अलावा, प्रत्येक जिले में जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) को मौजूदा भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता, उनकी क्षमता का उपयोग, भंडारण की कमियों, प्रस्तावित गोदामों की क्षमता, आवेदक पैक्स की व्यवहार्यता, प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, आदि की जांच और आकलन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

*****